

**FORM-1**

**Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector: Almora**

No---

Dated 28-1-2017

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.417 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand) for Construction of Bayela Nad Motar Road(8.00km) in Almora district falls within jurisdiction of Bayela & Phaldwari village (s) in Dwarahat tehsil.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.417 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

  
**विभागाध्यक्ष कल्याण बाघवाडी**  
**बलमोडा**

  
28/01  
Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)  
**जिला अधिकारी**  
**बलमोडा.**

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 28-1-17 at time 3:00 Pm: at Almora in which application claiming rights in Phaldwari, area measuring 4.417 hectares for the Construction of Bayela Nad Motar Road(8.00km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dwarahat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place:Almora**

**Dated:..28-1-2017**

**Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee**

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा.

*Handwritten signature*

जिला सहायक कल्याण अधिकारी  
अल्मोड़ा



परियोजना का नाम :-

द्वाराहाट - सुईसेट - मोटर मार्ग से कपेला-गाँव  
मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

द्वाराहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति .....

उपखण्ड द्वाराहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ( आरक्षित वन भूमि 2.498 है0, सिविल सोयम भूमि 0.412 है0 तथा वन पंचायत भूमि 1.507 है0 अर्थात् कुल वन भूमि 4.417 है0) निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी/ वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील द्वाराहाट की दिनांक 27/12/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री रजा अब्बास उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- |                                   |                                     |                 |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1. श्री <u>रजा अब्बास</u>         | उपजिलाधिकारी रानीखेत।               | <u>65</u>       | अध्यक्ष।    |
| 2. श्री <u>अमरेश कुमार</u>        | उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।      | <u>अल्मोड़ा</u> | सदस्य।      |
| 3. श्री <u>डी.सी. लोहानी</u>      | सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वाराहाट | <u>65</u>       | सदस्य/सचिव। |
| 4. श्री/श्रीमती <u>सुषमा कपूर</u> | बी0डी0सी0 क्षेत्र <u>अल्मोड़ा</u>   | <u>अल्मोड़ा</u> | सदस्य।      |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुवे उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कपेला - गाँव मोटर मार्ग का (8.00 किमी0) प्रयोजन एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कपेला - गाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जावे पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,  
तहसील-द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,  
तहसील-द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा।



परियोजना का नाम :-

द्वाराहाट - सुरईखेत मोटर मार्ग से बघेला-नाड  
मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- बघेला

तहसील :- द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बघेला-नाड मोटर मार्ग के निर्माण ( 8.00 किमी०) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि ... 2.498 है०, सिविल सोयम भूमि 0.412 है० तथा वन पंचायत भूमि 1.507 है० अर्थात् कुल वन भूमि 4.417 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बघेला द्वारा दिनांक 30-12-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बघेला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

Pankaj Rawat

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत बघेला

वि०ख० द्वाराहाट

जिला अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

[Signature]

प्रधान

ग्राम पंचायत बघेला

पो० ओ० बघेला

क्षेत्र पंचायत बघेला

प्रपत्र-23.1

दिनांक 20-12-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ  
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

- ① उद्धा पाण्डे
- ② दीपा पाण्डे
- ③ अशोक
- ④ राजेन्द्र सिंह
- ⑤ ~~अशोक~~
- ⑥ प्रकाश पाण्डे
- ⑦ ~~Kanhaiya~~
- ⑧ ~~अशोक~~
- ⑨ गरी राम
- ⑩ जस राम
- ⑪ दामोदर राम
- ⑫ पदी राम
- ⑬ हरीश राम
- ⑭ रत्नाल राम
- ⑮ पनी राम

उद्धा पाण्डे  
दीपा पाण्डे  
~~अशोक~~  
राजेन्द्र सिंह

~~अशोक~~  
~~अशोक~~  
~~अशोक~~  
अशोक राम  
गरी राम  
जस राम  
दामोदर राम  
पदी राम

ग्राम प्रधान

हरीश राम  
प्रधान  
ग्राम पंचायत बयला  
पो० ओ० चन्धरिया  
क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट अल्मोडा

हरीश राम  
रत्नाल राम  
पनी राम



परियोजना का नाम :-

द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग से क्येला-नाई  
मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- फलदाडी (नाई)

तहसील :- द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा।

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत .....  
क्येला-नाई मोटर मार्ग के निर्माण ( 8.00 किमी०) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि ...  
2.498 है०, सिविल सोयम भूमि 0.412 है० तथा वन पंचायत भूमि 1.507 है० अर्थात् कुल  
वन भूमि 4.417 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन  
मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम  
पंचायत फलदाडी द्वारा दिनांक 20-12-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में  
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत  
चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में  
आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों  
द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि  
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर  
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व  
सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फलदाडी के ग्रामवासियों को  
उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई  
आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत फलदाडी  
वि०ख० द्वाराहाट  
जिला अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान  
वि०ख० द्वाराहाट  
ग्राम पंचायत फलदाडी  
वि०खण्ड द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 20-12-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ  
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

1. वंशीधर तिवारी
2. प्रकाशराज
3. प्रेमशम
4. दिलीपशम
5. माधवी देवी
7. पप्पू शम
10. ज्ञान-दवल
11. चम्पा पत्त
12. चन्देवर
13. शंकर पत्त
15. चनीशम
16. डिप-चन्द पत्त
17. किशनशम
18. जानकी देवी
19. प्रकाश चन्द पत्त
20. वनीमानन्द पत्त

जन्मदिनांक  
प्रकाशराज  
प्रेमशम  
दिलीपशम  
पप्पू शम  
ज्ञानदवल  
चम्पा पत्त  
चन्देवर  
शंकर पत्त  
चनीशम  
किशनशम  
जानकी देवी  
ग्राम प्रधान  
निधि चन्द पत्त  
ग्राम पंचायत फलजो  
वि०खण्ड द्वाराहाट (सुल्तानगढ़)

प्रकाश चन्द  
निधि चन्द